

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

डॉ० खालिद मिर्जा,
निदेशक, (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

निदेशक,
मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा।

पटना, दिनांक /

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-004-अनुसंधान, उप शीर्ष-0004-मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, विपत्र कोड संख्या-एन 2202800040004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रू० 94,21,000/- (चौरानवे लाख इक्कीस हजार रुपये) मात्र आपको निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	0101-वेतन	1486000	3018000	4504000
2	0103-जी०या०भ०	1947000	3953000	5900000
3	0104-म० कि० भ०	83000	170000	253000
4	0105-परिवहन भ०	1000	4000	5000
5	0106-चि० भ०	17000	36000	53000
6	0107-अन्य भत्ता	3000	7000	10000
	योग वेतन एवं भत्ते:-	35,37,000	71,88,000	1,07,25,000
7	0201-मजदूरी	33000	67000	100000
8	1101-यात्रा व्यय	16000	34000	50000
9	1301-कार्यालय व्यय	297000	603000	900000
10	1303-दुरभाष	16000	34000	50000
11	1304-विद्युत प्रभार	132000	268000	400000
12	1306-वर्दी/पोशाक	13000	27000	40000
13	1401-किराया महसूल एवं कर	13000	27000	40000
14	1601-प्रकाशन एवं मूद्रण	66000	134000	200000
15	2002-कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	66000	134000	200000
16	2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत	330000	670000	1000000
17	3401-छात्रवृत्ति/वजीफा	115000	235000	350000
	कुल योग :-	46,34,000	94,21,000	1,40,55,000

तत्काल आवंटित राशि 94,21,000/- (चौरानवे लाख इक्कीस हजार रुपये) मात्र।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
8. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
9. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन


ह0/-

(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा),

ज्ञापांक:- 75

पटना, दिनांक:- 30/6/16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/लेखापाल/प्रशाखा-05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/गार्ड फाईल/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित


28.6.16
(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा)
57